न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA061 Manaram Vs Bhanwarlal etc

मानाराम पुत्र लिछमणराम जाट
निवासी खांगटा, तहसील पीपाडशहर
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. भंवरलाल पुत्र आशाराम जाट
   निवासी खांगटा, तहसील पीपाडशहर
   जिला जोधपुर
2. भूमिधारी तहसीलदार पीपाडशहर
   जिला जोधपुर

-----रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर दिनांक 13 जून 2019 प्रकरण संख्या 8916/2018 भंवरलाल बनाम मानाराम व अन्य

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री आर.के.कडवासरा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 15 नवम्बर,2019

अपीलाण्ट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपाडशहर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 8916/2018 भंवरलाल बनाम मानाराम व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13 जून 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 21 जून 2019 को पेश की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. भंवरलाल ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थनापत्र स्वयं की खातेदारी के खसरा संख्या 1860 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा बारानी दोयम वाके मौजा खांगटा तहसील पीपाडशहर तक आवागमन हेतु अप्रार्थी-अपीलाण्ट मानाराम की खातेदारी के खसरा संख्या 1861 की पूर्वी माठ के सहारे-सहारे तीस फीट चौडा रास्ता प्रार्थनापत्र के संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया। दिनांक 18 अक्तूबर 2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार पीपाडशहर से मौका रिपोर्ट भी तलब की गयी। 17 जनवरी 2019 को मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त हुई, साथ ही अप्रार्थी-अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 28 मई 2019 को अप्रार्थी-अपीलाण्ट की ओर से कमिश्नर रिपोर्ट बाबत आपत्ति प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिस बाबत उसी रोज बहस सुनी जाकर उक्त प्रार्थनापत्र खारिज किया गया। इसके बाद अप्रार्थी-अपीलाण्ट को दिनांक 04 जून 2019 को जबाब हेतु अंतिम अवसर दिया गया, 11 जून 2019 को अप्रार्थी-अपीलाण्ट की ओर से जबाब पेश किया गया, तब पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 13 जून 2019 को अपीलाधीन आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी-रेस्पो. का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार कर लिया, जिससे क्षुब्ध होकर अप्रार्थी-अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील पेश की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट पर सम्मन/नोटिस तामील होने के पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गयी, मौका निरीक्षण के पूर्व उसे नोटिस भी नहीं दिया गया। मौका रिपोर्ट अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में इकतरफा तैयार की गयी। इस संबंध में अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति भी पेश की गयी, मगर उसे नजरअंदाज करते हुए आपत्ति प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने मूल प्रार्थनापत्र में खसरा संख्या 1791 की पश्चिमी माठ के सहारे-सहारे वैकल्पिक रास्ता भी सुझाया, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस पर भी कोई विचार नहीं किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 69 व 70 की पालना सुनिश्चित नहीं की गयी। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने एवं प्रकरण खसरा संख्या 1748/1 सडक से रेस्पो. की खातेदारी के खसरा संख्या 1860 तक आवागमन के लिए नियमानुसार लघुतम दूरी के रास्ते की तलाश हेतु विधिवत कार्यवाही करने के लिए रिमाण्ड किये जाने का अनुरोध किया।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि मौका रिपोर्ट के पद संख्या तीन में स्पष्ट तौर पर दोनों पक्षों के रूबरू मौका रिपोर्ट तैयार किया जाना वर्णित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज संख्या 10 पर पीले रंग से रास्ता दर्शाया गया है। खसरा संख्या 1791 व 1791/2 के मध्य का कटाणी रास्ता सडक तक नहीं पहुँचता है बल्कि इससे पूर्व ही खत्म हो जाता है। इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए खसरा संख्या 1861 में चलने वाला कटाणी रास्ता प्रदत्त किया गया है। अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने पर विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 251ए संस्थित किये जाने के रोज ही दिनांक 18 अक्तूबर 2018 की आदेशिका अनुसार तहसीलदार पीपाडशहर को मौका रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये गये थे और साथ ही अप्रार्थी-अपीलाण्ट की तलबी हेतु सम्मन जारी किये जाने के निर्देश दिये गये। अप्रार्थी-अपीलाण्ट की ओर से दिनांक 17 जनवरी 2019 को अधिवक्ता ने वकालतनामा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के मौका रिपोर्ट संबंधित आदेश की पालना में दिनांक 20 दिसम्बर 2018 को भू-अभिलेख निरीक्षक कोसाणा (अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के संदर्भ से तहसीलदार पीपाडशहर द्वारा पत्र कमांक 5033 दिनांक 6 नवम्बर 2011 को दिये गये निर्देशों की पालना में) द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में मौका रिपोर्ट पेश की गयी। उक्त मौका रिपोर्ट में किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। नीचे दांयी ओर **रिपोर्ट मौका पर बनाई गयी** लिखा गया और फिर **उसमें "पर" और "बनाई" शब्दों के बीच में ^ का** निशान बना कर **"उभय पक्ष के रूबरू" वाक्यांश जोड़ा गया है।** जाहिर है कि मौका रिपोर्ट तैयार करने की प्रकिया में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 69 व 70 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित नहीं की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गयी है क्योंकि पक्षकारान एवं अन्य मौअजिज व्यक्तियों के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ-निशानात का इस पर अभाव है। इस संबंध में उत्पन्न संशय को अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी-अपीलाण्ट द्वारा मौका रिपोर्ट के संबंध में प्रस्तुत एतराज प्रार्थनापत्र से शह प्राप्त होती है। जबाब प्रार्थनापत्र में अप्रार्थी-अपीलाण्ट ने प्रदत्त रास्ते के अलावा जिस वैकल्पिक रास्ते खसरा संख्या 1791 की पश्चिम माठ के सहारे-सहारे होकर सम्भावित होने का जिक किया है, उसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित ध्यान दिया जाना भी अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से प्रकट नहीं होता हैं।

अतः इन परिस्थितियों में अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 जून 2019 अपास्त किया जाता है और प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत मूल प्रकरण संख्या 8916/2018 में पुनः कार्यवाही आरम्भ की जावे और मामलें में उभयपक्षकारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए अपीलाण्ट द्वारा (खसरा संख्या 1791/1 में से पीले रंगे से) सुझाए गए (पी-35 कमांक 2277 दिनांक 12 जून 2019 नक्शा पेज संख्या 11 पर उपलब्ध) विकल्प के तुलनात्मक अध्ययन की भी मौका रिपोर्ट तलब की जावे और निकट की तारीख पेशीयॉ देते हुए प्रकरण का आगामी **तीन माह की** अवधि में गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 15/11/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर